दिल्ली-एनसीआर

में रफ्तार का जुनून

कम होने का नाम नहीं

ले रहा है।हालात तब

और बेकाबू हो जाते हैं जब रफ्तार के साथ

नशे का भी घालमेल

हो जाता है। दिल्ली-एनसीआर में शायद ही

कोई दिन ऐसा जाता हो

जब रफ्तार के सौदागर किसी न किसी हादसे

को अंजाम न देते हों।

गौर करने वाली बात यह है कि ज्यादातर

मामले देर रात होते हैं।

बड़ी बात यह है कि इन हादसों पर रोकलगाने

के मकसद से पुलिस महकमा लगातार

जागरूकता अभियान चलाता है, लेकिन

इसका कोई असर नहीं देखने को मिलता।

पुलिस का हाल यह है किवह लगातार

संसाधनों की कमी का

रोना रोती रहती है। ऐसे

में इस प्रवित से निजात

पाने के लिए लोगों को

ही खुद पहल करनी

होगी।

इस सफर में खत्म हो रहा

जदगो का सफर

हिट एंड रन अपराध कानून में महज एक दुर्घटना नहीं बल्कि इरादतन हत्या माना गया है मगर गवाह कमजोर पडने से अपराधी छूट जाते हैं। मैं समझता हूं कि हिट एंड रन के मामलों में कमजोर गवाही पर सीसीटीवी से काबू पाया जा सकता है। सभी प्रमुख चौक – चौराहे और मार्ग सीसीटीवी की जद में आने चाहिए। इससे अपराधी को सजा दिलाने

पूर्णचंद पंवार, डीसीपी, ट्रैफिक, फरीदाबाद

मुद्दा से संबंधित अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया muddad@jagran.com

देनिक जागरण **पर भेज सकते हैं।** | नई दिल्ली, 22 फरवरी 2017

इन मार्गों पर होते हैं

कुल हादसे हुए हरियाणा में जिनमें 227 मौतें हुई

उत्तर प्रदेश में कुल हादसे, 35 मौतें हुई







सर्वाधिक हादसे हादसे मार्ग रिंग रोड 440 आउटर रिंग रोड जीटी करनाल रोड 191 नजफगढ़ 176 रोहतक रोड 130 मथुरा रोड 125 एनएच-8 जीटी रोड 109 108 वजीराबाद रोड 92 एनएच-24 मल्टी लेवल चौराहे

## इन जगहों पर होते हैं सर्वाधिक हादसे टी प्वाइंट मल्टी इंटरसेक्शन मेट्रो स्टेशन हाइवे पर स्थित गांवों के प्रवेश द्वार एक्सचेंज हब अस्पताल रोड स्ट्रेच बस स्टैंड फ्लाईओवर

### दिल्ली-एनसीआर में हादसों का सिलसिला

4 फरवरी 2017 : प्रशांत विहार इलाके में स्कूटी सवार को तेज रफ्तार वाहन चालक ने कुचला। राहगीरों ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित किया। आरोपी चालक का अब तक

30 जनवरी 2017 : भलस्वा इलाके में ईंट्र से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने स्कूली छात्रा को कुचला। छात्रा की मौके पर ही मौत। ट्रैक्टर चालक को पुलिस ने

27 जनवरी 2017 : गाजियाबाद के इंदिरापुरम में नहर रोड पर अभय खंड स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू के सामने ऑडी कार ने ऑटो रिक्शा में टक्कर मारी। इस घटना में ऑटो ड्राइवर समेत चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

17 फरवरी 2017: बवाना इलाके में ड्यूटी पर जा रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही की कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। सिंपाही की कार में ही मौत। पुलिस को अज्ञात वाहन चालक का अब तक नहीं चला कोई पता

15 जनवरी 2017 : भलस्वा इलाके में अज्ञात वाहन ने वैम्पियन को टक्कर मारी। चैम्पियन में सवार पांच लोग घायल हो गए और एक की इलाज के दौरान मौत।

13 जनवरी 2017 : दिल्ली के मौर्या एंक्लेव इलाके में एक शख्स को अज्ञात वाहन चालक कुचलकर फरार हो गया।पीडित की मौत हो गई। आरोपी वाहन चालक पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर ।

आरोपी वाहन चालक का अब तक नहीं चला पता।

24 मार्च 2016 : गाजियाबाद के इंदिरापुरम सेंट टेरेसा स्कूल के सामने तेज

रफ्तार कार ने घर के बाहर खेल रहे बच्चों की कुचलने से मौत हो गई। 31 मार्च 2016: गुरुग्राम में एक तेज रफ्तार होंडा सिटी कार ने दो बाइक सवारों

को कुचल दिया था। पूरी घटना एक सीसीटीवी में कैद हो गई थी। आरोपी चालक कार भगा ले गया था उसे चार माह बाद पकड़ गया।

8 अप्रैल 2016 : फरीदाबाद भीमसेन कॉलोनी में तेज गति से आ रहे कार चालक ने घर के बाहर खेल रहे दो साल के बच्चे उत्सव को टक्कर मार दी थी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह बच्चे को 10 मीटर तक घसीटती ले गई। चालक कार

**16 अप्रैल 2016** : नोएडा सेक्टर 21ए स्थित स्टेडियम के पास तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने चार लोगों को टक्कर मारी थी जिसमें एक की मौत हो गई थी। बीएमडब्ल्यू कार चालक मौके से फरार हो गया था ।

30 अप्रैल 2016 : गुरुग्राम में सऊदी अरब के एक काउंसलर की तेज रफ्तार से बाइक चलाने के चलतें हादसे में मौत हो गई थी। सलमान हुसैन अपनी लग्जरी बाइक हायबुसा से गुरुग्राम-फरीदबाद रोड पर जा रहे थे। रफ्तार तेज होने के चलते 17 लाख की बाइक एक डिवाइडर से टकराई और हादसे में सलमान की मौत हो गई।

29 जून 2016 :गुरुग्राम में तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित हुए ट्रक की चपेट में आने से ट्रैफिक मार्शल की मौत हो गई। हादसा दिल्ली – गुरुग्राम एक्सप्रेस – वे स्थित खेड़की दौला टोल प्लाजा के करीब हुआ। ट्रैफिक मार्शल को कुचलते हुए ट्रक सड़क किनारे जाकर पलट गया । चालक मौके से भाग गया था ।

15 **अगस्त 201**6 : राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीकरी के पास एक कार चालक ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ निवासी रामसिंह यादव की मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी थी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। कार चालक उन्हें लहूलुहान अवस्था में

07 सितंबर 2015 : गाजियाबाद में बसपा के पूर्व मंत्री के नजदीकी रिश्तेदार की पजेरो कार ने इंदिरापुरम नहर रोड पर ही एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर अंकित की बाइक को टक्कर मारी थी। वैशाली निवासी बाइक सवार प्रोफेसर की मौके पर ही मौत हो गई थी।

साइड मिरर से सुलझाया था हिट एंड रन का मामला 13 नवंबर 2015 को मास्टर रोड पर हुए हिट एंड रन के एक मामले को पुलिस ने कार के साइड मिरर से केवल 16 घंटे अंदर सुलझा लिया था। उस शाम हिर विहार झुग्गियों निवासी बच्चों व महिलाओं ने मास्टर रोड पर मुंगफली या सब्जी की रेहड़ी लगाई हुई थी। शाम ७ बजे अनियंत्रित कार चालक छह बच्चों को टक्कर मारकर फरार हो गया।हादसे में सचिन व प्रशांत की मौत हुई, कमल, विशाल, सपना और वैशाली घायल हुए थे । खेड़ी चौकी प्रभारी बसंत कुमार ने मौके का मुआयना किया तो कार का दूटा हुआ साइंड मिरर मिला। मिरर हाल में लांच हुई किसी कार का लग रहा था। उन्होंने नई लांच कारें इंटरनेट पर खंगाली तो मारुति सुजुकी की एस– क्रॉस कार का वैसा साइड मिरर मिला।शहर में मारुति सुजूर्की की दो एजेंसियां हैं। पुलिस एजेंसी पर पहुंची और एस– ऋॉस कारों की डिटेल मांगी। भूपानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत उनकी एक कार बुढ़ैना गांव में बिकी थी। इत्तेफाक से वह कार रिपेयरिंग के लिए एजेंसी पर आई हुई थी। पुलिस ने कार की जांच की तो वह क्षतिग्रस्त थी और उसका साइड मिरर टूटा हुआ था। पुलिस ने घटना स्थल पर बरामद किया हुआ साइड मिरर कार में लगाया तो वह फिट हो गया। और आरोपी पकड़ा गया।

# नकेल के बिना हादसों पर अंकुश मुश्किल : प्रिस सिंघल

रफ्तार और नशा सड़कों पर लोगों की जिंदगी लील रहा है। आए दिन तेज रफ्तार वाहनों से हादसों की खबरें पढ़ने को मिलती हैं। यातायात पुलिस हादसों पर नकेल कसने की कवायद तो कर रहा है लेकिन यह भी हकीकत है कि सिर्फ छह फीसद शराबी चालकों पर ही कार्रवाई हो पाती है। हाल ही में कम्यूनिटी अगेंस्ट ड्रिंक एंड ड्राइव द्वारा किए गए सर्वे में शराब पीकर वाहन चला रहे सिर्फ 6 फीसद लोगों ने माना कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। 85 फीसद शराबी चालकों ने कहा पुलिस ने कभी नहीं पकड़ा ही नहीं। ऐसे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जमीनी स्तर पर हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। यह हाल दिल्ली के किसी एक इलाके का नहीं हैं कमोबेश दिल्ली और एनसीआर सभी जगहों यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। रात में तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। हमने हौजखास विलेज, खान मार्केट, राजौरी गार्डन, डिंफेस कॉलोनी, कनॉट प्लेस, साकेत में सर्वे किया। कुल पांच हजार लोग सर्वे में शामिल हुए। सर्वे में 49.6 फीसद पुरुष और 42.3 फीसद महिलाओं ने कहा कि उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में पहली बार शराब पी। जबिक दिल्ली में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। चालकों ने माना कि शराब पीने के बाद वो खुद वाहन चलाते हैं। 25-34 वर्ष उम्र के 75.6 चालक जबकि



शराब पीकर नियमित वाहन चलाने की बात स्वीकारी। 75 फीसद पुरुष चालक यह मानते हैं कि शराब पीने से उनकी ड्राइविंग पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जबकि 85 फीसद चालकों को भरोसा था कि वो पकड़े। ही नहीं जाएंगे। सर्वे में शामिल हुए पांच हजार चालकों में से सिर्फ 347 चालकों को ही पलिस पकड पाई

दिल्ली में शाम पांच बजे से रात एक बजे के बीच अधिक हादसे होते हैं। चूंकि इस समय सड़कों पर यातायात पुलिस के जवान काफी कम होते हैं लिहाजा लोग बेफिक्री में वाहन चलाते हैं। जिसका नतीजा होता है कि गंभीर हादसे इस अवधि में ज्यादा होते हैं। दिल्ली में जब तक निगरानी व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी होगा। चौराहों पर सीसीटीवी लगाने होंगे। चालकों के घर पर चालान भेजना होगा। साथ ही जुर्माना राशि बढ़ाने के अलावा दो से ज्यादा बार पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए। तभी चालक तेज रफ्तार वाहन चलाने से हिचकेंगे।

संजीव कुमार मिश्र से बातचीत पर

# कानून तो है, खोट केवल इसे लागू कराने वालों में है

हम बीते दो दशक में देखें तो युवाओं में गई है। पुलिस खानापुर्ति के लिए कार्रवाई पश्चिमी देशों की संस्कृति अपनाने का करती है और अदालतें भी ऐसे मामलों में चलन तेजी से बढ़ा है। जिसके परिणाम हुए ऊंट के मुंह में जीरे की तर्ज पर ही पियक्कड़ कि शराब और रफ्तार की इस हानिकारक कॉकटेल का कहर सामने आने लगा। में अदालत नशेड़ी चालकों को महज दो से हमने पश्चिमी देशों की गलत आदतों को 10 दिन की सजा देने के बाद ही मुक्त कर तो अपना लिया, लेकिन क्या कभी सोचा देती है। कुछ मामलों में ऐसे चालकों का कि उक्त देशों की तर्ज पर ही कड़ाई से लाइसेंस छह माह के लिए रद कर दिया जाता नियमों का पालन भी भारत में कराया जा है। कानून में ऐसे चालकों के खिलाफ छह रहा है या नहीं। इसका जवाब सब जानते हैं। माह की सजा तक का प्रावधान है। न तो सरकार और पुलिस प्रशासन नियमों को लागू कराने के प्रति सजग हैं और न ही अदालतों की इसमें कुछ खास दिलचस्पी है। ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में राजधानी जैसे शहर में बीते कुछ सालों में मानों बाढ़ सी आ लोगों को वाहन से रौंदने का सिलसिला भी

चालकों को सजा देती हैं। अधिकांश मामलों

हमे समझना होगा कि जब तक शराब पीकर वाहन चलाने वालों के मन में कानून का खौफ पैदा नहीं किया जाएगा तब तक पियक्कड़ चालकों द्वारा शराब के नशे में



नहीं रुकेगा।कानून में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के पूरे इंतजाम किए गए हैं। खोट केवल इसे लागू करने वाली एजेंसी और सजा देने वाली अदालतों में है।

फिल्म अभिनेता सलमान खान पर दर्ज हुआ हिट एंड रन मामला इसका उदाहरण है। जब इतना बड़ा स्टार ऐसे मामलों में पकड़ा जाएगा तो आम लोगों पर इसका क्या प्रभाव

पडेगा। अभियोजन पक्ष ने सलमान को सजा दिलाने के लिए अदालत के समक्ष मजबूत केस प्रस्तुत करने की जहमत उठाई और हाई कोर्ट ने भी उन्हें संदेह का लाभ देने मे देरी नहीं की। यह केवल दिल्ली की नहीं बल्कि पुरे देश की समस्या है। अगर किसी को लगता है कि शराब के नशे में सड़क हादसा करने वाले पर हत्या का मुकदमा चलाने से इस बीमारी का अंत हो जाएगा तो वह गलत है। क्योंकि पुलिस मामले को अदालत में हत्या की धारा में दर्ज कर पेश तो कर देगी, लेकिन इसे साबित कर पाना किसी भी एजेंसी के लिए आसान नहीं है।

# लापरवाही से हुई मौत की धारा में संशोधन की जरूरत



राजधानी में आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाएं निश्चित तौरपर चिंता का विषय हैं और रोकने के लिए दिल्ली यातायात से कार्रवाई करती है और सीसीटीवी समेत पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। यातायात

ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर दिल्ली यातायात पुलिस ने वर्ष 2016 में करीब 28 हजार चालान किए। वहीं दूसरी तरफ हिट एंड रन जैसे मामले में पुलिस गंभीरता अन्य संसाधनों की मदद से आरोपियों पुलिस द्वारा सेफ ड्राइव को लेकर लगातार की धरपकड़ कर कार्रवाई भी की जाती

सुविधाओं का टोटा

साहिबाबाद, लिंक रोड, खोड़ा और

इंटरसेप्टर वाहन नहीं है। गाजियाबाद

जिले की ट्रैफिक पुलिस के पास के

पास केवल एक इंटरसेप्टर वाहन है।

जिस पर स्पीड रडार लगा है। इसी

का इस्तेमाल पुलिस अपनी जरूरत

के अनुसार अलग-अलग रोड पर

इंदिरापुरम में पुलिस के पास कोई

टांस हिंडन के चार प्रमुख थानों

अभियान चलाया जाता है और लोगों को है। सड़क दुर्घटना के ज्यादातर मामले इसमें कड़ी सजा का प्रावधान किया जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। में शराब पीकर ओवर स्पीडिंग ही वजह जाना समय की मांग है। सेफ ड्राइविंग वहीं दूसरी तरफ शराब पीकर तेज रफ्तार 🛮 बनती है। ऐसे मामलों में लापरवाही से 📑 के लिए अनुशासन लाना होगा। दिल्ली में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई मौत की धारा 304 ए के तहत कार्रवाई की जाती है। सड़क दुर्घटना की घटना में परिस्थिति के आधार पर ही गैर इरादतन हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए अब जरूरत है कि लापरवाही से मौत की धारा 304 ए में संशोधन किया जाए, ताकि ऐसी घटना

करने से पहले आदमी दस बार सोचे।

क्या तेज रफ्तार वाहन चलाकर किसी की

जान लेने वाले सभी मामलों में हत्या का

मुकदमा चलना चाहिए?

**60**%

पुलिस ही नहीं अन्य संस्थाओं व आम होगा।आम नागरिकों को अपने बच्चों को जागरूक करना होगा ताकि वे सेफ डाइव करे। दिल्ली पुलिस भी प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती है।

> विनीत त्रिपाठी से बातचीत पर आधारित

# चालक के हाथ में है दोहरी जिम्मेदारी

नशे में वाहन चलाना, खतरनाक ड्राइविंग व तेज रफ्तार सड़क हादसों की मुख्य वजह है। नशे की हालत में चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं कर पाता। ऐसे में वाहन चालक अपनी जान तो जोखिम में डालता ही है साथ ही दूसरों के लिए भी खतरा बनते हैं। ठीक यही हाल तेज रफ्तार व खतरनाक ड्राइविंग में भी होता है। इसके अलावा यातायात नियमों का उल्लंघन, रोड इंजीनियरिंग व लापरवाही भी सड़क हादसों का एक बड़ा कारण है। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट पूरा सिस्टम बनाया गया है।

35-44 वर्ष उम्र के 50 फीसद चालकों ने

वाहन की स्पीड क्षमता के अनुसार उसकी रफ्तार सीमा निर्धारित की जाती है और मार्ग बनाने वाली एजेंसी को सड़क पर निर्धारित सीमा के अनुसार सूचना बोर्ड लगाना होता है, लेकिन गाजियाबाद में किसी भी सड़क पर सूचना पट नहीं लगाए गए हैं। वाहन की स्पीड के लिए रडार की मदद से कार्रवाई की जाती है। रडार के लिए



राजेश कुमार पुलिस अधीक्षक यातायात. गाजियाबाद

तीन पाइंट पर पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती है पहले पाइंट पर रडार लगाया जाता है जैसे ही उसे वाहन क्रास करता है उसकी स्पीड का पता चल जाता है। दूसरे पाइंट पर तैनात पुलिसकर्मी वाहन की स्पीड व वाहन का नंबर तीसरे पाइंट पर तैनात पुलिसकर्मियों को देते हैं और तीसरे पाइंट वाले पलिसकर्मी ओवर स्पीड में चालान करते हैं। गाजियाबाद में यातायात पुलिस के पास मानव संसाधनों व रडार की कमी है। पुलिस अंदाज के अनुसार ओवर स्पीड के चालान करती है और खतरनाक ड्राइविंग व शराब पीकर वाहन चलाने वालों के

## पुलिस रात के वक्त होती

है गायब

ट्रांस हिंडन में पुलिस रात को गश्त करती है लेकिन उसका फोकस आवासीय कॉलोनी पर रहता है। इंदिरापुरम, वैशाली और वसुंधरा को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों पर जहां रात में वाहनों की रफ्तार तेज रहती है। यूपी गेट से मोहन नगर को जाने वाली लिंक रोड पर अक्सर हादसे होते हैं, लेकिन इन जगहों पर पुलिस रात में वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए मौजूद नहीं रहती है।

खिलाफ कार्रवाई करती है। वाहन चालकों को अपनी व दूसरों की सुरक्षा के प्रति गंभीर

आशुतोष गुप्ता से बातचीत पर

## ब्रेथ एनालाइजर की कमी

करती है।

ब्रेथ एनालाइजर भी केवल टीएसआइ और हेड कांस्टेबल के पास ही हैं। ट्रांस हिंडन में एक ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर और 28 हेड कांस्टेबल तैनात हैं ।

## सीसीटीवी का नहीं प्रबंध


सड़कों पर सीसीटीवी के इंतजाम नहीं हैं। यहां तक कि यूपी गेट और मोहन नगर जैसे प्रमुख चौराहों पर भी यह सुविधा नहीं है।

### गुरुग्राम के पास नहीं सुविधाएं

• गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के पास सिर्फ दो क्रेन, और 3 इंटरसेप्टर 🗨 गाडियों की स्पीड मापने के लिए तीन

इंटरसेप्टर, पांच की जरूरत • रात के समय दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस वे, एमजी रोड व अन्य स्टेट हाइवे पर वाहन चालक शराब पीकर वाहन चलाते हैं। पुलिस के पास सिर्फ पांच ब्रीथ एनालाइजर हैं। ट्रैफिक पुलिस के पास 450 जवान हैं, लेकिन मुख्य चौराहों तक ही इनकी निगरानी

• दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेव पर हाइवे पैट्रोलिंग की भी जरूरत है।



20%

क्या तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर देना चाहिए?



## निर्णायक कदम उटाने की

राजधानी में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं इसके कई कारण हैं। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, नाबालिगों के हाथ स्टेयरिंग थमाना, नियम की अवहेलना करते हुए गाड़ी चलाना और सबसे बड़ी बात दूसरे की सुविधा का ख्याल न रखते हुए ड्राइव करना। दुर्घटना के अधिकांश मामलों में शराब का सेवन और तेज रफ्तार ड्राइविंग प्रमुखता से सामने आई है। कई बार शौकिया तौर पर लोग तेज गाड़ी चलाते हैं और वह भी भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में जिससे अधिक दुर्घटना होती हैं।

शराब का सेवन वर्तमान में फैशन का रूप ले चुका है। इसे रोकने या कम करने के लिए केवल कानूनी उपाय पर्याप्त नहीं हैं। यदि वर्ष भर में होने वाली दुर्घटनाओं पर ध्यान दें तो बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो शराब का सेवन करने के बाद दुर्घटना का



प्रो.जेपी दुवे अधिष्टाता, सामाजिक विज्ञान संकाय

शिकार हुए हैं। इस समस्या को समाज के कई आयामों से जोड़कर देखा जा सकता है। जैसे अधिकांश आयोजनों में शराब परोसे जाने का चलन, एक आयु वर्ग या एक समूह में शराब सेवन के बाद गाड़ियों को अनियंत्रित करके चलाना। पारिवारिक

संस्कारों का अभाव। आमतौर से युवा संगत में शराब पीता है और नशे की लत लगने पर अकेले भी सेवन करता है। जिसके बाद गाडी चलाने पर दुर्घटना होने की संभावना बढ जाती है।

एक युवा की दुर्घटना में मौत होने पर केवल परिवार का एक सदस्य नहीं जाता है बल्कि देश का भी बड़ा नुकसान होता है। इस बात को सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर लोगों को समझने की जरूरत है। उन्हें एहसास कराने की कि उनके कृत्य से अन्य लोगों की जान को भी खतरा रहता है।

इस दिशा में सरकार को भी सामाजिक स्तर पर निर्णायक कदम उठाने होंगे। शराब सेवन के बाद अनजाने में हो रहे अपराध के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाना आवश्यक है। साथ ही पब, पार्टी, होटल आदि में भी शराब की बिक्री और उपलब्धता को लेकर सरकारी एजेंसियों को चौकसी बरतने की आवश्यकता है।

> अभिनव उपाध्याय से बातचीत पर आधारित।